संख्या-175/2015/2348/71-1-2015-जी-67/2015

प्रेषक,

राजकुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 18 नवम्बर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुपूरक मांग के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर तथा गोरखपुर हेतु मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/412, दिनॉक 14-10-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुपूरक मांग के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर तथा गोरखपुर हेतु मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु मेडिकल कालेज, आगरा हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र), मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) तथा मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) को आपके निवर्तन पर रखते हुए उसकी वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30-03-2015 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0338-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान-0339-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान-0343-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30-03-2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-175/2015/2348(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर तथा गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर तथा गोरख्पुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, आगरा, कानपुर तथा गोरखपुर।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।